

**बिहार सरकार**  
**पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**  
सं०सं०- पि०व०/02/ब० एवं आ०-17-01/2022 - 83

प्रेषक,

ऋषि कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,  
भोजपुर एवं गया जी।

पटना, दिनांक- 12/8/26

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2026-27 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, भोजपुर एवं गया जी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु क्रमशः रु० 3,34,190/- एवं रु० 1,51,029/- अर्थात् कुल राशि रु० 4,85,219/- (रु० चार लाख पचासी हजार दो सौ उन्नीस) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, भोजपुर एवं गया जी द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु क्रमशः रु० 3,34,190/- एवं रु० 1,51,029/- अर्थात् कुल राशि रु० 4,85,219/- (रु० चार लाख पचासी हजार दो सौ उन्नीस) मात्र आवंटित की जाती है।

2-कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026-27 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 001-निर्देशन एवं प्रशासन, उप शीर्ष 0003-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण-क्षेत्रीय कार्यालय, विषय शीर्ष 06.01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति विपत्र कोड सं०-11-2225-03-001-0003 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक व्यय दिनांक-31.03.2027 तक हो सके एवं व्यय की संभावना नहीं रहने पर शेष राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व विभाग को प्रत्यर्पित कर दिया जाय।

6-जिस मद में राशि आवंटित की जा रही है, उसी मद में राशि का व्यय किया जाय। किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

7-राशि बैंक में संचित नहीं किया जायेगा।

8-प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9-प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(ऋषि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- पि०व०/02/ब० एवं आ०-17-01/2022 - 82 पटना, दिनांक- 12/8/26  
प्रतिलिपि-महालैखाकार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- पि०व०/02/ब० एवं आ०-17-01/2022 - 83 पटना, दिनांक- 12/8/26  
प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

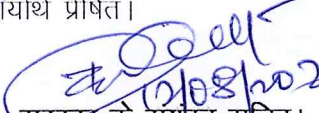
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- पि०व०/02/ब० एवं आ०-17-01/2022 - 83 पटना, दिनांक- 12/8/26  
प्रतिलिपि-निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

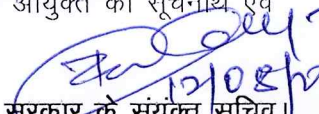
सरकार के संयुक्त सचिव।

P.T.O

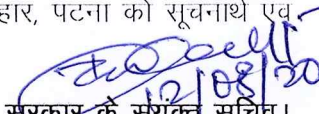
ज्ञापांक- पि०व०/02/ब० एवं आ०-17-01/2022 -83 पटना, दिनांक-12/8/26  
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
12/08/2026  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- पि०व०/02/ब० एवं आ०-17-01/2022 -83 पटना, दिनांक-12/8/26  
प्रतिलिपि-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
12/08/2026  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- पि०व०/02/ब० एवं आ०-17-01/2022 -83 पटना, दिनांक-12/8/26  
प्रतिलिपि-संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/उप सचिव, (बजट प्रभारी)/अवर सचिव (बजट प्रशाखा)/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आईटी0मैनेजर, (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
12/08/2026  
सरकार के संयुक्त सचिव।